

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत \_\_\_\_\_


मुकाम \_\_\_\_\_

किस्म मुकद्दमा \_\_\_\_\_

बनाम \_\_\_\_\_

नं. \_\_\_\_\_

सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/2/24	<p>पत्रावली पैरा 101 वकील प्रार्थी उपरिष्कृत वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बख्त को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बख्त में कृपण किया कि प्रार्थी पत्र के चरणों में 190 में वरिष्ठ मोजा नौमगाँव के खेत संख्या 130 में वरिष्ठ आराजी नम्बर 31/43, 67/4/488, 733/3, 734/3, 735/488 किरा आराजी-5 कुल रकबा 5.9252 है रिष्कृत है जिसमें प्रार्थी का 1/5 एक हिस्सा बनता है तथा 4/5 एक हिस्सा को आरिण्ट काबिज है प्रार्थी अपने एक हिस्से को आरिण्ट को विभाजन से खेत अलग कराना चाहता है प्रार्थी के कब्जे काबल में विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा बाधा पैदा कर बैरवल् करके करके का उपाय किया जा रहा है इसलिए विपक्षीगण को भरव्याधी विधिधारा से पाबन्द किया जावे। इस पर पत्रावली का एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गहन परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त प्रार्थी पत्र में वरिष्ठ खेत संख्या 190 में वरिष्ठ आराजीपत्र में प्रार्थी का 1/5 एक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा इसी अनुसार काबिज है। विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी के कब्जे काबल में बैरवल् एक बाधा पैदा नहीं करके इस पाबन्द किया जाना ब्यापसंगत है।</p>	 <p>30/2/24 जज अदालत इगता</p>